



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-31072023-247739
CG-DL-E-31072023-247739

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 185]
No. 185]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 31, 2023/श्रावण 9, 1945
NEW DELHI, MONDAY, JULY 31, 2023/SHRAVANA 9, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2023

सं. 23/2023

विषय: एफटीपी 2023 के परिशिष्टों और आयात-निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2न (निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों/निर्यात विकास प्राधिकरणों की सूची) के तहत संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/93/180/01/एम-16/पीसी-2(ख)/ई-2587.—विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्वारा परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2न (निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों/निर्यात विकास प्राधिकरणों की सूची) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध मदों हेतु पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी करने के लिए आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषऐक्सिल) को शामिल करने हेतु विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2023 के परिशिष्ट 2न में क्र. सं. 39 पर एक नई प्रविष्टि को शामिल किया जाएगा:

परिशिष्ट 2न में क्र.सं	निर्यात संवर्धन परिषदों/कमोडिटी बोर्डों का नाम	पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय	उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले उत्पादों का विवरण
39.	आयुष निर्यात संवर्धन	फेडरेशन हाउस,	1. आयुर्वेदिक पद्धति की औषधीय

	<p>परिषद (आयुषऐक्सिल)</p> <p>तानसेन मार्ग, टोडरमल रोड क्षेत्र, मंडी हाउस, नई दिल्ली, दिल्ली टेलीफोन/मोब नंबर: 9958939200; 9899743070; 9811166097</p> <p>ईमेल: director@ayushexcil.in</p> <p>वेबसाइट: http://ayushexcil.in</p>		<ol style="list-style-type: none"> 2. यूनानी पद्धति की औषधीय सामग्री 3. सिद्ध पद्धति की औषधीय सामग्री 4. होम्योपैथिक पद्धति की औषधीय सामग्री 5. जैव रसायन प्रणाली की औषधीय सामग्री 6. आयुर्वेदिक पद्धति की औषधीय सामग्री 7. यूनानी पद्धति की औषधीय सामग्री 8. सिद्ध प्रणाली की औषधीय सामग्री 9. होम्योपैथिक पद्धति की औषधीय सामग्री 10. जैव-रसायन प्रणाली की औषधीय सामग्री 11. आंखों के मेकअप की विनिर्मितियां 12. फेस क्रीम 13. मॉइस्चराइजिंग लोशन 14. सुगंधित हेयर ऑयल 15. अन्य हेयर ऑयल 16. ओरल या डेन्टल साफ-सफाई के लिए विनिर्मितियां (पाउडर में) 17. ओरल या डेन्टल साफ-सफाई के लिए विनिर्मितियां (पेस्ट में) 18. बॉथ ऑयल (थैलम) 19. शौचालय में उपयोग के लिए साबुन (औषधीय उत्पादों सहित) औषधीय टॉयलेट सोप।
--	---	--	---

3. परिशिष्ट 2न में आयुषऐक्सिल को शामिल करने के बाद, मूल रसायन, कॉएस्मेटिक्स और डाइज़ निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात संवर्धन परिषद ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के लिए क्रमशः क्रम सं. 2 और 17 पर मौजूदा प्रविष्टियों को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगा:

परिशिष्ट 2न में क्र. सं.	निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों का नाम	पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों का विवरण
2.	मूल रसायन, कॉएस्मेटिक्स और डाइज़ निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)	झाँसी कैसल, चौथा तल 7 कूपरेज रोड मुंबई-400001. टेलीफोन: 022-22021288/22021330 फैक्स: 022-22026684 ईमेल: info@chemexcil.in वेबसाइट: https://chemexcil.in	<ol style="list-style-type: none"> 1. डाईज, डाई-इंटरमीडिएट्स, कोल तार रसायन और अल्कोहल - 2. कृषि रसायन, ऑयल फील्ड रसायन सहित मूल अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन 3. कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट्रिज़ सुगंधित तेल और इत्र यौगिक (क्रम संख्या 39 पर आयुषऐक्सिल को आवंटित वस्तुओं को छोड़कर) 4. अरंडी का तेल और इसके व्युत्पन्न
17.	फार्मास्यूटिकल्स निर्यात संवर्धन परिषद ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल)	201, आदित्य ट्रेड सेंटर अमीरपेट, हैदराबाद-500 038 टेलीफोन: 040-23735462/66 फैक्स: 040-23735464 ईमेल: dgdesk@pharmexcil.com, ayush@pharmexcil.com वेबसाइट: www.pharmexcil.com	<ol style="list-style-type: none"> 1. बल्क ड्रग्स और इसके इंटरमीडिएट्स 2. सूत्रीकरण 3. बायोटेक और बायोलोजिकल उत्पाद 4. निदान 5. शल्य चिकित्सा 6. न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मा उद्योग से संबंधित सेवाएं 7. सहयोगात्मक अनुसंधान

			8. संविदा विनिर्माण 9. क्लिनिकल परीक्षण और कन्सल्टेंट आदि 10. फार्मा संबंधी सेवाएं।
--	--	--	--

4. आयुषऐक्सिल को अब आवंटित मदों हेतु इस सार्वजनिक सूचना को जारी करने की तिथि तक केमेक्सिल और फार्मेक्सिल द्वारा जारी किए गए आरसीएमसी उनकी समाप्ति की तिथि तक वैध रहेंगे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:

आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषऐक्सिल) को विनिर्दिष्ट मदों हेतु आरसीएमसी जारी करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट 2न में तत्काल प्रभाव से शामिल किया गया है। तदनुसार, केमेक्सिल और फार्मेक्सिल के क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों को संशोधित किया गया है तथा उनके सम्पर्क के ब्यौरो को अद्यतित कर दिया गया है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

Public Notice

New Delhi, the 31st July, 2023

No. 23 /2023

Subject: Amendment under Appendix 2T (List of Export Promotion Councils/Commodity Boards/Export Development Authorities) of Appendices and ANFs of FTP 2023 - regarding.

F. No. 01/93/180/01/AM-16/PC-2(B)/E-2587.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in Appendix 2T (List of Export Promotion Councils/ Commodity Boards/Export Development Authorities) of Appendices and ANFs of the FTP 2023.

2. A new entry at Sl. No. 39 in Appendix 2T of FTP, 2023 shall be inserted to include AYUSH Export Promotion Council (AYUSHEXCIL) for issuing Registration-Cum-Membership Certificate (RCMC) for the items listed in the table below:

Sl. No. in Appendix 2T	Name of Export Promotion Councils/ Commodity Boards	Registered Office/Head Office	Details of products falling with their jurisdiction
39.	AYUSH Export Promotion Council (AYUSHEXCIL)	Federation House, Tansen Marg, Todermal Road Area, Mandi House, New Delhi, Delhi Tele/Mob No.:9958939200; 9899743070; 9811166097 Email: director@ayushexcil.in website: https://ayushexcil.in/	1. Medicants of Ayurvedic System 2. Medicants of Unani systems 3. Medicants of Siddha system 4. Medicants of Homoeopathic System 5. Medicants of Biochemic system 6. Medicaments of Ayurvedic System 7. Medicaments of Unani systems 8. Medicaments of Siddha system 9. Medicaments of Homoeopathic System 10. Medicaments of Bio-chemic system 11. Eye make-up preparations 12. Face creams 13. Moisturising lotion 14. Perfumed Hair oil 15. Other Hair oil 16. Preparations for oral or dental hygiene (in powder) 17. Preparations for oral or dental hygiene (in paste)

			18. Bath oil (thailam) 19. Soaps for toilet use (including medicated products) Medicated toilet soaps.
--	--	--	---

3. Subsequent to inclusion of AYUSHEXCIL in the Appendix 2T, the existing entries at Sl. No. 2 and 17 for Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes EPC (CHEMEXCIL) and Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (PHARMEXCIL) respectively shall be amended as under:

Sl. No. in Appendix 2T	Name of Export Promotion Councils/ Commodity Boards	Registered Office/Head Office	Details of products falling with their jurisdiction
2.	Basic Chemicals, Cosmetics & Dyes Export Promotion Council (CHEMEXCIL)	Jhansi Castle, 4th Floor 7 Cooperage Road Mumbai-400 001. Tel: 022-22021288/22021330 Fax :022-22026684 Email: info@chemexcil.in website: https://chemexcil.in/	1. Dyes, Dye-Intermediates, Coal Tar Chemicals and Alcohol – 2. Basic Inorganic and Organic Chemicals including Agro Chemicals, Oil Field Chemicals 3. Cosmetics and Toiletries, Essential Oils & Perfumery Compounds (except items allocated to AYUSHEXCIL at S. No. 39) 4. Castor Oil & it's derivatives
17.	Pharmaceuticals Export Promotion Council of India (PHARMEXCIL)	201, Aditya Trade Center, Ameerpet, Hyderabad - 500038, Tel: +91-40-23735462/64/66 Website: dgdesk@pharmexcil.com, ayush@pharmexcil.com website: www.pharmexcil.com	1) Bulk Drugs and its intermediates 2) Formulations 3) Biotech & biological products 4) Diagnostics 5) Surgical 6) Nutraceuticals & pharma industry related services 7) Collaborative research 8) Contract manufacturing 9) Clinical trials and consultants etc 10) Pharma related services.

4. The RCMCs issued by CHEMEXCIL & PHARMEXCIL till the date of issue of this Public Notice, for the items now allocated to AYUESHEXCIL, shall remain valid till their expiry.

Effect of this Public Notice:

AYUSH Export Promotion Council (AYUSHEXCIL) has been included in the Appendix 2T of FTP, 2023 for issuing RCMC for specified items, with immediate effect. Accordingly, the products falling under jurisdiction of CHEMEXCIL & PHARMEXCIL have been revised and their contact details have been updated.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade &
Ex-officio Addl. Secy.